इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]		भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. एफ-1-116-2009-1-उनसठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन संविदा आधार पर सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2012 है.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त संविदा सेवक के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(3) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) ''संविदा सेवक'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया संविदा सेवक;

(ग) "संविदा सेवा" से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा उपबंधित संविदा सेवा ;

(घ) "संविदा नियुक्ति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर की गई नियुक्ति ;

(ङ) "जिला" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश का राजस्व जिला ;

(च) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ;

(छ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल ;

(ज) "पद" से अभिप्रेत है अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित पद ;

(झ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगरपालिक परिषद् क्षेत्र तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—इन नियमों का विस्तार संपूर्ण राज्य पर होगा और नियुक्त संविदा सेवकों पर लागू होगा.

4. **संविदा राशि.**—(1) नियुक्त किये गये संविदा सेवकों को राज्य सरकार द्वारा मासिक संविदा राशि प्रदाय होगी. वे राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार भत्तों के हकदार नहीं होंगे.

(2) किसी संविदा सेवक को संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जायेगा जिनमें वह कर्तव्य से अनुपस्थित रहा हो.

5. **पदों की संख्या एवं आरक्षण.**—(1) **पद**—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या राज्य शासन द्वारा विनिश्चित की जायेगी. प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की गणना राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी की स्थिति में की जावेगी तथा रिक्त पदों को संविदा नियुक्ति के लिये प्रथक रूप से समूहकृत किया जाएगा.

(2) **आरक्षण.**—इन पदों का आरक्षण मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.

6. **अर्हताएं.**—(1) **आयु**—संविदा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें कि नियुक्ति की जाना हैं, 60 वर्ष होगी.

(2) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ऐसी होगी, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

7. **चयन तथा नियुक्ति का तरीका.**—(1) संलग्न अनुसूची "अ" में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर भर्ती व्यापम द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवीण्यता (मैरिट) के आधार पर तैयार चयन सूची से की जावेगी.

(2) संलग्न अनुसूची "ब" में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर भर्ती चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जावेगी. अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह उपलब्ध पदों से तीन गुना तक अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने हेतु ऐसी प्रक्रिया अपना सकेगी जैसा कि विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जावेगा.

8. **संविदा नियुक्ति की कालावधि और पदस्थापना.**—संविदा की कालावधि अधिकतम एक वर्ष होगी तथापि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार से निधि की उपलब्धता के आधार पर सेवा वृद्धि की जा सकेगी. मिशन कालावधि तक तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक होने पर संविदा जारी रखी जा सकेगी.

9. **संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

10. **कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्यवाई.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंर्तग्रस्त होने या किसी कदाचार करने पर नियुक्ति प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.

11. **नियंत्रणकर्ता अधिकारी.**—संविदा सेवक संबंधित जिला आयुष अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा.

12. **अन्य शर्तें.**—

(1) चयनित अभ्यर्थी जिला आयुष अधिकारी के साथ, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, के साथ 100 रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा. करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा. चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में होना माना जायेगा.

(2) संविदा सेवक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें. उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी. संविदा सेवक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित जिला आयुष अधिकारी को भेजेगा.

(3) प्रथम माह के लिये संविदा राशि प्राप्त करने से पूर्व संविदा सेवक स्वयं अपने व्यय पर जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा. इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी.

(4) संविदा सेवक की पदस्थापना संविदा के आधार पर उपनियम (1) के अनुसार निश्चित संविदा अवधि हेतु किसी विशिष्ट स्थान के लिये होगी, किन्हीं भी परिस्थितियों में इसका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. यद्यपि महिलाओं को सुविधा की दृष्टि से एवं पति-पत्नी होने की स्थिति में पदस्थापना में प्राथमिकता दी जा सकेगी.

(5) संविदा सेवक एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के अवकाश का हकदार होगा. वह एक समय में अधिकतम 03 दिनों के अवकाश का उपयोग कर सकेगा/सकेगी. महिला संविदा सेवक, जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की कालावधि के प्रसूति अवकाश की हकदार होंगी. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां संबंधित जिला आयुष अधिकारी में निहित होंगी.

(6) यदि संविदा सेवक बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वत: समाप्त हुई मानी जावेगी.

(7) संविदा सेवक उसकी संविदा कालावधि के लिए किसी भी पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा. उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत है, अत: मिशन के समाप्त होने पर अथवा वेतन मद में अनुदान प्राप्त न होने पर नियुक्ति स्वंयमेव समाप्त हो जावेगी.

(8) संविदा सेवक शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा.

(9) संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकेगी.

(10) अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

(11) संविदा सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी हो तथा इस आशय का मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(12) संविदा सेवक का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा. चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तुरन्त रद्द कर दी जाएगी.

13. **निर्वचन.**—इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य शासन, आयुष विभाग, भोपाल को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

14. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की कार्यवाई करने की शक्ति का ऐसी रीति में सीमित या कम करती है, जो उन्हें उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

15. **निरसन और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रभावशील होने पर मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 निरसित हो जाएंगे, परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अंतर्गत किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

अनुसूची-(अ)

क्रमांक (1)	संविदा सेवा में सम्मिलित पद (2)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (3)	चयन का मापदण्ड (4)	नियुक्ति प्रधिकारी (5)
1. (अ)	संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि जो सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त हो व म. प्र. आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन.	(1) चयन हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम 80 अंकों में से प्राप्त अंक. (2) संबंधित चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर उपाधि-20 अंक. उपरोक्त (1) एवं (2) के अंकों के योग के उपरान्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण्यता अनुसार.	राज्य शासन
(ब)	संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी.	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. उपाधि जो सीसीएच द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विधि द्वारा स्थापित परिषद्/बोर्ड से 4 वर्षीय पत्रोपाधि (डी.एच.एम.एस.) जो सीसीएच से मान्यता प्राप्त हो तथा म. प्र. राज्य होम्योपैथी परिषद् से वैध पंजीयन.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(स) संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. यू. एम.एस. उपाधि जो सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त हो व म. प्र. आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन.		
2	संविदा आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ	(1) आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ पद के लिये विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जो सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद् में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीयन. (2) होम्योपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ पद के लिये विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जो सी.सी.एच. द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद् में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीयन. (3) यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ पद के लिये विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा के किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि जो सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/परिषद् में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीयन.	(1) चयन हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से कुल प्राप्तांकों के आधार पर उच्च प्रावीण्यता.	राज्य शासन
3	संविदा फार्मासिस्ट/कम्पाउण्डर/औषधि संयोजक (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा)	संबंधित चिकित्सा पद्धति में डिप्लोमा इन फार्मेसी/एक वर्षीय कम्पाउण्डर पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन.	(1) चयन हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से कुल प्राप्तांकों के आधार पर उच्च प्रावीण्यता.	विभागाध्यक्ष
4	संविदा आयुष मसाजर (बहुउद्देशीय कर्मी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन.	(1) चयन हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से कुल प्राप्तांकों के आधार पर उच्च प्रावीण्यता.	विभागाध्यक्ष
5	संविदा आयुष रोगी अटेंडेंट (महिला/पुरुष)	पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 8वीं) उत्तीर्ण.	(1) चयन हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों में से कुल प्राप्तांकों के आधार पर उच्च प्रावीण्यता.	विभागाध्यक्ष

अनुसूची-(ब)

अनुक्रमांक (1)	पद (2)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (3)	चयन समिति प्राधिकारी (4)	नियुक्ति प्रधिकारी (5)
1	प्रोग्राम मैनेजर	AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त मानव संसाधन प्रबंधन में एम. बी.ए./ मास्टर डिग्री. 3 वर्ष का कार्य अनुभव	1. अध्यक्ष—प्रमुख सचिव, आयुष 2. सदस्य—आयुक्त, आयुष 3. सदस्य—संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचानालनालय, आयुष.	राज्य शासन
2	फायनेंस मैनेजर	AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय प्रबधन में एम.बी.ए. / मास्टर डिग्री. शासकीय संस्था अथवा प्रतिष्ठित संस्था में 3 वर्ष का वित्तीय प्रबंधन का कार्य अनुभव.	1. अध्यक्ष—प्रमुख सचिव, आयुष 2. सदस्य—आयुक्त, आयुष 3. सदस्य—संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचानालनालय, आयुष.	राज्य शासन
3	अकाउंट मैनेजर	AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय प्रबधन में एम. बी. ए. / एम. कॉम/आई. सी. डब्ल्यू. ए. (इन्टर)/ सी. ए. (इन्टर). शासकीय संस्था अथवा प्रतिष्ठित संस्था में 3 वर्ष का लेखा प्रबंधन का कार्य अनुभव.	1. अध्यक्ष—प्रमुख सचिव, आयुष 2. सदस्य—आयुक्त, आयुष 3. सदस्य—संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचानालनालय, आयुष.	राज्य शासन
4	डाटा असिस्टेंट	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ स्नातक अथवा बी.सी.ए. के साथ एम.एस. आफिस, टैली, पेज मेकर आदि का ज्ञान, हिन्दी/ अंग्रेजी टाईपिंग के साथ दो वर्ष का कार्य अनुभव.	1. अध्यक्ष—प्रमुख सचिव, आयुष 2. सदस्य—आयुक्त, आयुष 3. सदस्य—संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचानालनालय, आयुष.	राज्य शासन

Bhopal, the 18th January 2013

No. F 1-116-2009-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment to certain categories of services under National Rural Health Mission on contract basis under the Department of AYUSH, Madhya Pradesh, namely :—

RULES

1. **Short title, Application and Commencement.**—(1) These rules may be called "The Madhya Pradesh Ayurved / Homeopathy / Unani Contract Servant (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2012".

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, these rules shall apply to such categories of contract servants appointed on contract basis, as may be specified in the Schedule from time to time under National Rural Health Mission by the State Government.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" means the authority specified in the Schedule for the concerned category;

(b) "Contract Servant" means the Servant appointed on contract basis under National Rural Health Mission;

(c) "Contract service" means the contract service as provided in these rules.

(d) "Contract Appointment" means the appointment made on contract basis under these rules;

(e) "District" means the revenue district of Madhya Pradesh;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Head of Department" means the Commissioner/ Director, Ayush, Madhya Pradesh, Bhopal;

(h) "Post" means the posts mentioned in column (2) of the Schedule;

(i) "Rural area" means the area other than Municipal Council and Municipal Corporation;

(j) "Schedule" means schedule appended to these rules;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Extent and application.**—These rules shall extend to the whole of the State and shall apply to the contract servants.

4. **Contract Amount.**—(1) A fixed monthly contract amount shall be payable to the contract servants for this appointed by the State Government. They shall not be entitled for other allowances as per rules applicable to the employees of the State Government.

(2) The contract amount to a contract servant shall not be paid for the days for which he remains absent from the duty.

5. **Number of Posts and Reservation.**—(1) **Posts**—The number of vacant posts under the National Rural Health Mission shall be as decided by the State Government. The calculation of vacant posts for each category shall be made on the 1st day of January of every year at the State level and the vacant posts earmarked for contractual appointments will be grouped separately.

(2) **Reservation**—These posts shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 and the instructions issued by the State Government from time to time.

6. **Qualifications.**—(1) **Age**—The maximum age limit for contractual appointments shall be 60 years on the first day of January of the year in which the appointment is to be made.

(2) **Minimum Educational Qualification**—Minimum educational qualification for the appointment of the candidates shall be as specified in the Schedule.

7. **Selection and Method of appointment :—**

i. The recruitment to the posts specified in the Schedule A shall be made on the basis of select list prepared on merit through the written competitive examination conducted by VYAPAM.

ii. The recruitment to the posts specified in the Schedule B shall be made by the selection committee through interview. In case of applications received in large numbers, the selection committee will reserve the right to reduce the number of candidates three times to the available posts by adopting the procedure as may be specified in the advertisement

8. **Period of Contract, Appointment and Posting.**—The maximum period of contract appointment shall be of one year. However, the contract may be continued by the State Government on the basis of availability of funds from National Rural Health Mission and upto period of the Mission keeping in view the satisfactory work and conduct of the contract servant.

9. **Discipline and Control during Contract Period.**—Any person appointed under these rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

10. **Action on Misconduct or Involvement in any Criminal Activity.**—On any misconduct or involvement in any criminal activity by the person appointed under these rules, the appointing authority may terminate the contract appointment after giving a reasonable opportunity of being heard.

11. **Controlling Officer.**—The contract servant shall be under the administrative control of the concerned District Ayush Officer.

12. **Other Conditions :—**

(1) The selected candidate shall execute an agreement with the District Ayush Officer who is representative officer of the Appointing Authority on non-judicial stamp paper of Rs. 100. Expenses on execution of the agreement shall be borne by the selected candidate. The selected candidate shall be deemed to be in contract service from the date of joining at the place of his/her posting.

(2) It shall be compulsory for the contract servant to join his/her duty within 15 days of the issue of the appointment order at the place of posting. In the event of non joining within the said period, the contract appointment shall automatically stand cancelled. The contract servant shall send the intimation of joining to the District Ayush Officer of the concerned district.

(3) The contract servant shall undergo medical examination conducted by the District Hospital at his own cost before the receipt of payment of contract amount for the first month. Only after being found fit in the medical examination, the contract appointment shall be valid.

(4) The posting of a contract servant shall be for a specific place for a specified period on contract basis as per Sub rule 1, the place of posting of will not be changed in any condition. However, for the convinience of ladies and in the state of husband and wife priority will be given in posting.

(5) The contract servant shall be entitled for a maximum of 15 days' leave in a calendar year. He/She can avail a maximum of 3 days' leave at a time. A female contract servant having less than two living children shall be entitled for maternity leave for a maximum period of 180 days. The powers shall be vested with the concerned District Ayush Officer to sanction the aforesaid leave.

(6) If the contract servant remains absent from his/her duty for more than a month without any specific reason and without any intimation, then his/her contract appointment shall be deemed to be considered to have terminated automatically from the date of such absence.

(7) The contract servant shall not be entitled for any pension benefits for his/her contractual period. No bonus etc. shall be payable to him/her for such period. Here it is clarified that contract appointment is purely under the National Rural Health Mission, so the appointment shall automatically stand terminated at the end of the Mission or in case of non-receipt of Grant-in-aid under the Salary Head.

(8) The contract servant shall not be entitled for regularization in Government Service.

(9) The contract appointment may be terminated by any party at any time on one month's prior notice or on payment of one month's contract amount as the case may be.

(10) Other service conditions shall be such, as may be specified in the appointment order.

(11) It shall be compulsory for the contract servant that he/she shall be the resident of Madhya Pradesh and he/she shall have to submit the domicile certificate to this effect.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of any provision of these rules, it shall be referred to the Department of Ayush, Government of Madhya Pradesh, Bhopal whose decision thereon shall be final.

12. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him/her than that provided in these rules.

13. **Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh Ayurved / Homeopathy / Unani Medical Officer Cadre Contract Service (Appointment and Conditions of Services) Rules, 2006 shall be repealed on commencement of these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.

SCHEDULE "A"

Serial Number (1)	Posts included in Contract Service (2)	Minimum Educational Qualification (3)	Norms of Selection (4)	Appointing Authority (5)
1. A	Contract Ayurveda Medical Officer	B. A. M. S. Degree from University which is established by law and recognized by CCIM and valid Registration with Madhya Pradesh Ayurveda, Unani Evam Prakratik Chikitsa Board.	(1) On the basis of marks secured out of 80 marks in the written competitive examination conducted for selection.	State Government
B	Contract Homoeopathy Medical Officer	B.H.M.S. Degree from any University which is established by law and recognized by CCH or four - year Diploma (DHMS) recognized by CCH and valid registration with M.P. State Council of Homeopathy.	(2) A Post-Graduate degree in the concerned system of medicine-20 marks. As per merit on the basis of marks secured after adding (1) & (2) above.	
C	Contract Unani Medical Officer	B.U.M.S. Degree from any University which is established by law and recognized by CCIM and valid Registration with M.P. Ayurveda, Unani Evam Prakratik Chikitsa Board.		
2.	Contract Ayurveda / Homoeopathy / Unani Medicine Specialist	(1) Ayurveda Medicine Specialist - A Post-Graduate Degree in any subject of Ayurveda Medicine recognized by CCIM and Registration as a Physician with Ayurveda Board / Council established by law. (2) Homoeopathy Medicine Specialist - A Post-Graduate Degree in any subject of Homoeopathy Medicine recognized by CCH and	As per merit on the basis of marks obtained out of maximum 100 marks in the written competitive examination conducted for selection.	State Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Registration as a physician with a Board/Council established by law. (3) Unani Medicine Specialist - A Post-Graduate Degree in any subject of Unani medicine recognized by CCIM and Registration as a physician with a Board /Council established by law.		
3.	Contract Pharmacist/ Compounder/Aushadhi Samyojak (Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani Medicine	A recognized Diploma in Pharmacy in the concerned system of medicine or one year Compounder training Certificate Course and Registration with M.P. Paramedical Council.	As per merit on the basis of marks obtained out of maximum 100 marks in the written competitive examination conducted for selection.	Head of the Department
4.	Contract Ayush Massager (Multi-purpose Worker)	Diploma / Certificate in Panchakarma from any recognized institute and Registration with M.P. Paramedical Council.	As per merit on the basis of marks obtained out of maximum 100 marks in the written competitive examination conducted for selection.	Head of the Department
5.	Contract Ayush Patient Attendant (Male/Female)	Middle School Examination (8th class) passed.	As per merit on the basis of marks obtained out of maximum 100 marks in the written competitive examination conducted for selection.	Head of the Department

SCHEDULE "B"

Serial Number (1)	Posts (2)	Minimum Educational Qualification (3)	Selection Committee Authority (4)	Appointing Authority (5)
1.	Programme Manager	AICTE recognized MBA / Master Degree in Human Resource Management . Work Experience of Three Years	(1) Chairman—Principal Secretary AYUSH (2) Member—Commissioner AYUSH (3) Member—Joint Director / Deputy Director, Directorate AYUSH.	State Government
2.	Finance Manager	AICTE recognized MBA Finance / Master Degree in Finance Management Financial management Experience of Three Years in a Government or reputed organisation	(1) Chairman—Principal Secretary AYUSH (2) Member—Commissioner AYUSH (3) Member—Joint Director / Deputy Director, Directorate AYUSH.	State Government
3.	Accounts Manager	AICTE recognized MBA Finance / M.Com / ICWA (Inter) / CA(Inter) Account management Experience of Three Years in a Government or reputed organisation	(1) Chairman—Principal Secretary AYUSH (2) Member—Commissioner AYUSH (3) Member—Joint Director / Deputy Director, Directorate AYUSH.	State Government
4.	Data Assisstant	Graduation with Diploma in Computer application or BCA with knowledge of M S office package, Tally / Pagemaker etc, Hindi & English Typing with 2 years working experience	(1) Chairman—Principal Secretary AYUSH (2) Member—Commissioner AYUSH (3) Member—Joint Director / Deputy Director, Directorate AYUSH.	State Government

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.